छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा अष्ठम सत्र अंक-02

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 12 जुलाई, 2016

(आषाढ़ 21, शक संवत् 1938)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 10 (कुल 10) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्न संख्या 06 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री भोलाराम साहू के स्थान पर श्री गिरवर जंघेल, सदस्य अधिकृत थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 15 तारांकित एवं 41 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 7-6/2016/32, दिनांक 3 मई, 2016 **पटल पर रखी।**

3. पृच्छा

श्री भूपेश बघेल एवं श्री उमेश पटेल, सदस्य द्वारा प्रदेश में खाद एवं बीज की कमी से उत्पन्न स्थिति से संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने की मांग की गई।

4. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि खाद एवं बीज को आधार बना कर स्थगन प्रस्ताव की सूचना आज ही प्राप्त हुई है, जिसे शासन को उत्तर भेजने हेतु निर्देशित किया गया है। उत्तर पर विचार कर मैं यह निर्णय करूंगा कि इसे सभा में क्या किसी अन्य माध्यम से चर्चा में लिया जा सकता है ? अब इस पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं होगी।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री उमेश पटेल, सदस्य ने रायगढ़ जिला अंतर्गत खरसिया नगर में कल कारखानों से निकले अपशिष्ट एवं फ्लाई ऐश का शासकीय व वन भूमि में अवैध रूप से डंपिंग किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

(2) श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने जिला बेमेतरा में राष्ट्रीय राजमार्ग 12-ए के निर्माण हेतु अधिग्रहीत किसानों की भूमि का मुआवजा नहीं दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोवर्धन सिंह मांझी, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक- 53, अभनपुर से निर्वाचित सदस्य श्री धनेन्द्र साहू द्वारा जुलाई, 2016 सत्र में दिनांक 11 जुलाई, 2016 से 15 जुलाई, 2016 तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही गई है।

(सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई।)

7. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री अशोक साहू, सभापति ने प्रत्यायुक्त विधान समिति का पंचम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

8. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश के आदिवासियों को वनाधिकार पट्टे से वंचित किये जाने से उत्पन्न स्थिति

श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री श्याम बिहारी जायसवाल मोहन मरकाम, भोजराज नाग, कवासी लखमा, (डॉ) खिलावन साहू, अमरजीत भगत (जारी)

(1.30 से 3.00 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री अमरजीत भगत, मनोज सिंह मंडावी, डॉ. विमल चोपड़ा,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री दीपक बैज, अमित अजीत जोगी, श्यामलाल कंवर, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री बृहस्पत सिंह, रामदयाल उईके, भूपेश बघेल,

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री शिवरतन शर्मा

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष।

9. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि सदन को स्मरण होगा कि प्रश्नकाल के पश्चात् प्रदेश में खाद एवं बीज वितरण की उपलब्धता को आधार बना कर प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल एवं अन्य सदस्यों द्वारा आसंदी का ध्यान आकर्षित करने पर मैंने सदन में व्यवस्था दी थी कि मैंने शासन को उत्तर देने हेतु निर्देशित किया है तथा उत्तर पर विचार कर मैं इसे किस रूप में लूंगा, सदन को अवगत कराऊंगा। मैंने सूचना और उत्तर पर विचार कर इस विषय को नियम 139 के अंतर्गत अनुमति देने का निर्णय लिया है।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पदक्रम 6 का कार्य समाप्त होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

10. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा (क्रमश:)

श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर देना प्रारंभ किया।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।)

11. बहिर्गमन

चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया ।

12. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा (क्रमश:)

श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सांय 6.01 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 13 जुलाई, 2016 (आषाढ़ -22, शक संवत् 1938) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा